**संख्या-280/2026/1698/41-2-2026**-सीएन-**1798750**

प्रेषक,

चन्दन कुमार रावत,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक 01 सितम्बर, 2026

**विषय:- जनपद श्रावस्ती में जातक कथा पर आधारित थीम पार्क के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्र सं0-739839/6-1-1/(565)/2023-24, दिनांक 18.08.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जनपद श्रावस्ती में जातक कथा पर आधारित थीम पार्क के निर्माण कार्य की परियोजना को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-205/2024/513/001-41-2-2024-सीएन-1798750, दिनांक 31.07.2024 द्वारा जनपद श्रावस्ती (उ0प्र0) में जातक कथा पर आधारित थीम पार्क के निर्माण कार्य की प्रायोजना को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया तदनुसार शासनादेश संख्या-205/2024/513/001-41-2-2024-सीएन-1798750 , दिनांक 31.07.2024 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 400.00 लाख (रू0 चार करोड़ मात्र) को ब्याज सहित राजकोष में जमा कराते हुए उक्त की सूचना शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(चन्दन कुमार रावत)
उप सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- जिलाधिकारी, श्रावस्ती।
5- प्रभारी, एन0आई0सी0 सेल, मुख्यमंत्री कार्यालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सी0एम0आई0एस0 पोर्टल (सी0एम0आई0एस0 संख्या-202500002600011) पर दर्ज प्रश्नगत परियोजना को पोर्टल से हटाने (डिलीट) के सम्बन्ध में अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 (यू0पी0पी0सी0एल0), लखनऊ ।
8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी (रा0यो0), पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11- उप निदेशक पर्यटन, अयोध्या/देवीपाटन मण्डल, अयोध्या।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(चन्दन कुमार रावत)
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है । J

http://shasanadesh.up.gov.in